

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 नवम्बर 2015—कार्तिक 11, शक 1937

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित सेवाओं में निम्नानुसार और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम के अधिसूचित सेवाओं में,—

- (1) सेवा क्रमांक '9.2 नवीन एपीएल राशनकार्ड जारी करना एवं सेवा क्रमांक '9.4 डुप्लीकेट एपीएल राशनकार्ड जारी करना विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव,